हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

23 मार्च, 1997

खण्ड–1, अंक–16

अधिकृत विवरण

विशत सूची

बुधवार, 23 जुलाई, 1997

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(16)1
अल्प सूचित तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(16)5
22.7.1997 को प्रतिपक्ष के सदस्य, श्री बीरेन्द्र सिंह द्वारा उठाए गए विशय पर स्पश्टीकरण	(16)11

नियम 64 के अधीन वक्तव्य	(16)13
सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में घोशणा	(16)13
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(16)14
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(16)15
बिल्ज –	
(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिशन (न. 3) बिल, 1997	(16)15
(ii) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सैलूरीज एंड अलाउंसिज (अमैडमैंट) बिल, 1997	(16)16
(iii) दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाइटीज (अमैडमैंट) बिल, 1997	(16)18
(iv) दि हरियाणा सैलरीज एंड अलाउंसिज आफ मिनिस्टर्ज (अमैडमैंट) बिल, 1997	(16)19
(v) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैन्शन आफ मैम्बर्ज) सैकिंड अमैंडमैंट बिल, 1997	(16)21
सदन की बैठक की कार्यवाहियों को उपलब्ध कराने के लिए सदन की अनुमति	(16)23

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 23 जुलाई, 1997

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्ड़ीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो. छतर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Construction of a New Subzi Mandi, Julana

***243. Sh. Sat Narain Lather**: Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new Subzi Mandi in Julana Constituency?

मुद्रण तथा लेखन सामग्री राज्य मंत्री (श्रीमती कृश्णा गहलावत): ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री सत नारायण लाठर: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि हमारे जुलाना में सब्जी मंडी की बड़ी जरूरत है। इस मंडी के बनने के जहां मार्किट कमेटी की फीस बढ़ेगी इसके साथ ही आम छोटे दुकानदार को भी फायदा होगा। जो लोग जगह–जगह सब्जी लेने के लिए घूमते हैं उनको एक ही जगह सब्जी मिल जाएगी। इसलिए मैं मंत्री महोदया

से अनुरोध करूंगा कि इस सब्जी मंडी के बारे में दोबारा विचार करें?

श्रीमती कृश्णा गहलावत: स्पीकर सर, जुलाना की आबादी 15 हजार है। वहां 10–12 छोटे–छोटे सब्जी विक्रेता हैं और रेहड़ी वाले भी हैं। उनसे लोग सब्जी लाते हैं और बेच देते हैं। फल व सब्जी की आवक जुलाना में नहीं है। अगर इसके बावजूद भी आनरेबल मैम्बर इसके लिए कहते हैं तो ये लिखकर दें तो इसके बारे में जरूर विचार किया जाएगा।

श्री सत नारायण लाडर: स्पीकर सर, मैंने लिखकर ही तो दिया है तभी तो क्वैश्चन आया है। मंत्री महोदया करती हैं तो मैं दोबारा लिखकर दे दूंगा। अब हमारे इलाके में लोग सब्जी की खेती करते हैं क्योंकि टयूबवैल लग गए हैं। मैं पुनः प्रार्थना करूंगा कि इस सब्जी मंडी के बारे में पुनः विचार करें।

श्री अध्यक्ष: बहन जी ने बताया है कि वहां 10–12 छोटे–छोटे दुकानदार हैं।

श्री सत नारायण लाठर: स्पीकर सर, जब सरकार की तरफ से सुविधा होगी तो और ज्यादा सब्जी वाले हो जाएंगे। जहां तक लिखने का सवाल है मैं दोबारा लिखकर दे दूंगा।

श्रीमती कृश्णा गहलावत: स्पीकर सर, वहां के जमींदार फल व सब्जियां नहीं उगात हैं इसलिए वहां सब्जी मंडी का बनना मुश्किल है।

श्री सत नारायण लाठर: स्पीकर सर, बहन जी ने जो आश्वासन पहले दिया था वह भी अब वापस ले लिया है। पहले तो लिखकर मांगा था अब बिल्कुल हीं इंकार कर रही है।

श्री आनन्द कुमार शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृशि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मंडी आलरेडी बनी हुई हैं उनमें मंडियां शिफ्ट नहीं हुई हैं जबकि उनके लिए जगह निर्धारित की हुई है। तो वह मंडियां अपनी निर्धारित जगहों पर कब तक शिफ्ट कर दी जाएंगी।

कृशि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): अध्यक्ष महोदय, माननीय शर्मा जी ने जो सवाल किया है वह बिल्कुल ठीक है। जो मंडियां मार्किटिंग बोर्ड ने बनाई थी उनके बारे में पिछले काफी दिनों से नीति का निर्धारत नहीं हुआ था कि उनकी ऑक्शन करनी है या क्या करना है लेकिन अब सरकार ने फैसला ले लिया है। राज्य भर में कई मंडियों ऐसी हैं जिनको शिफ्ट करना है, उनका खुली बोली के तौर पर आबंटन करेंगे। जल्दी ही ऐसी मंडियों की शुरूआत हो जाएगी।

श्री आनन्द कुमार शर्मा: स्पीकर सर, बारिश का मौसम आ रहा है और मौजूदा जगह पर गंदगी की वजह से लोगों को बड़ी असुविधा हो रही है जबकि पक्की मंडियां बनकर तैयार हैं और साल भर से ऊपर उन्हें बने हुए हो चुका है। अगर मंत्री महोदय टाइम बतला सकें तो बेहतर होगा?

श्री अध्यक्षः मंत्री जी ऐसे ही आश्वासन आप लाटर साहब को दे दें।

श्री कर्ण सिंह दलालः सर, जैसा मैंने बतलाया है कि केवल नोटिफिकेशन होनी बाकी है अगर कोई मंडी ऐसी है जहां बहुत ज्यादा गंदगी है तो वहां फिलहाल सफाई करा देंगे। साथ ही हम बहुत जल्द कार्यवाही करने जा रहे हैं कि मंडियों नई जगह शिफट हो जाएं।

श्री सतपाल सांगवानः स्पीकर सर, चरखी दादरी सब्जी मंडी आपकी देखी हुई है। उसमें बहुत संड़ांध आती है क्योंकि चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। सरकार की प्रोपोजल भी है कि नई मण्डियों को जल्दी ही बनायेंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वहां नई मंडी कब तक काम करना शुरू कर देगी।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सतपाल सांगवान जी ने चरखी दादरी में जो नई सब्जी मंडी बनाने का सवाल किया है उसके लिए जमीन आईडैंटीफाई हो चुकी है और जल्दी ही उस पर कार्यवाही करेंगे। इनका इवाल बिल्कुल ठीक है।

श्री राम भजन अग्रवालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नई सब्जी मण्डियों को कब तक बनाने जा रहे हैं। भिवानी सब्जी मंडी में एक शैड बना हुआ है उस पर सरकार का लाखों रूपया लगा हुआ है लेकिन वह

किसी सब्जी विक्रेता को अलाट नहीं है। वहां सब्जी मंडी में गंदगी भी रहती है जिसकी वजह से लाखों रूपया सरकार का बर्बाद हो रहा है। सरकार को क्या दिक्कत है। अगर उस शैड को छोटे–छोटे सब्जी विक्रेताओं को अलाट कर दे तो उसकी वजह से वहां सफाई भी रहेगी और सरकार का लाखों रूपये का नुकसान भी नहीं होगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया पौलिसी का फैसला हो चुका है और केवल नोटिफिकेशन होनी बाकी हैं एल.आर. की राय लेकर हम जल्दी ही आक्शन के माध्यम से अलाट करने का फैसला करके इनकी समस्या का समाधान कर देंगे।

श्री राज भजन अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, इस विशय के बारे में पिछले 7–8 महीने से मैं कह रहा हूं। मैं मंत्री जी से भी मिला हूं और भिवानी में संबंधित अधिकारियों से भी मिला हूं। अब एस.आर. इतने बड़े अधिकारी हो गये कि जिनकी वजह से सरकार का लाखों रूपये का नुकसान हो रहा है, व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, इसका हल जल्दी से किया जाये।

श्री अध्यक्ष: कृशि मंत्री जी एल.आर. से बात करके कोई निश्चित तिथि निर्धारित करिये ताकि उस तिथि तक यह काम पूरा हो जाये क्योंकि यह बड़ी भारी समस्या बनी हुई है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, एल.आर. साहब से आज ही इस केस की फाइल को निकलवा लेते हैं। कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि अनाज मंडी और सब्जी मंडी की जगह को आक्शन की पौलिसी के द्वारा ही हम लोगों को अलाट करें क्योंकि पहले लोग इस बारे में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चले जाते थे।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गोहाना सब्जी मंडी की 10–12 दुकानें हैं और वहां पर 50–60 लाईसैंस होल्डर हैं जो सब्जी मंडी के बाहर सड़क पर बैठकर सब्जी बेचते हैं। क्या उनको सब्जी मंडी की दुकाने अलाट करने की तजवीज मंत्री जी करेंगे?

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, इस बात की जांच करा लेते हें अगर जरूरत होगी तो इनकी इस बात को जरूर पूरी करेंगे।

श्री करतार सिंह भडाना: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बापौली में अनाज मंडी बनी हुई है परन्तु उसके लिए अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है कि आक्शन से देंगे या ऐसे ही देंगे। इसका क्या कारण है?

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह सिर्फ बापौली का सवाल नहीं है बल्कि सारे हरियाणा से जुड़ा हुआ है और हमने फैसला कर लिया है कि

आक्शन के माध्यम से ही यह जमीन अलाट करेंगे। एल.आर. साहब से आज ही फाइल निकलवा लेते हैं और इस केस की प्रक्रिया शुरू करवा देते हैं।

Flood Problem

***430. Sh. Anil Vij**: Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the drain passing through Mahesh Nagar, Govind Nagar and its adjacent areas causes floods in Ambala Cantt. if so, the step taken or proposed to be taken to check the said floods?

Ch. Minister (Sh. Bansi Lal): A statement is laid on the Table of the House.

Statement

1. It is a fact that the drain passing through Mahesh Nagar & Govind Nagar etc. causes floods temporarily.

2. (i) There is a proposal under consideration to construct a lift link drain in the head reach of this drain to divert/drain out flood water of rural area into River Tangri before it enters Mahesh Nagar area.

(ii) The unlined section of Mahesh Nagar Drain from RD 2000 to 6000 is also proposed to be brick lined to improve its drainage efficiency.

(iii) It is proposed to acquire land for drain RD 0 to RD 2200 down stream of pump house of Mahesh Nagar Drain to construct a regular section because at present, it passes through the private land and the owners obstruct the flow and

do not allow the Irrigation Department to dig full section of the drain in this portion.

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, महेश नगर, गोविन्द नगर तथा इसके साथ लगते क्षेत्रों से गुजरने वाली ड्रेन के कारण अम्बाला छावनी में बाढ़ आती है जिससे सारा शहर बाढ़ के पानी में डूबा रहता हैं इसके बार में जो स्टेटमैंट पेश की नई है यह स्टेटमेंट ऐप्रोप्रिएट है। मैं समझता हूं कि यह स्टेटमैंट तीन पार्टस में दी गई है। अगर इन तीनों प्रोपोजल्ज पर काम पूरा हो जाए तो अम्बाला छावनी हरियाणा में एक ''फल्ड फ्री'' शहर घोशित किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन तीनों प्रोपोजल्ज को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या इस वित्तीय वर्श में कुछ फंड का प्रावधान किया गया है?

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि विज साहब ने बताया, इसके तीन हिस्से बनने हैं। एक हिस्सा आर.डी. 0 से आर. डी. 2200 तक प्राइवेट जमीन में बनना है। प्राइवेट जमीन वाले वहां खुदाई करने नहीं दे रहे हैं। इसलिए अब उस जमीन को हम एक्वायर करने जा रहे हैं। दूसरे, यह आर.डी. 2000 से 6000 तक पक्की होनी है। तीसरे, आर.डी. 6000 से 15000 तक पहले ही प्लान की जा चुकी है और फिर इससे आगे आर.डी. 26000 तक लिंक ड्रेन बनेगी। फिर उस लिंक ड्रेन से ऊपर नम्बर–3 स्कीम एग्जीक्यूट की जाएगी। जो यह 2200 मीटर में यूनिट लगा हुआ

है, वहां पर एक लिफट भी लगेगी। इन सब स्कीमों को मिलाकर कुछ 65 लाख रूपये खर्च होंगे तथा इन तीनों स्कीमों का कार्य जून, 1998 तक कंपलीट हो जाएगा। (थंपिंग)।

श्री अनिज विज: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री महोदय का इस कार्य के लिए धन्यवाद करना चाहगा हूं।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय के विधान सभा क्षेत्र अंबाला शहर में तीन ड्रेन हैं। एक तो अंबाला ड्रेन है जो कि घग्घर में गिरती है। दूसरी सैशन कोर्ट ड्रेन है तथा तीसरी घेल ड्रेन है। इन तीनों ड्रेनों की सफाई के लिीए हमने मौके पर एक्सकावेटर भेज दिए हैं तथा वहां पर वे कार्य कर भी रहे हैं। इस कार्य के लिए हमने दस लाख रूपये संबंधित एस.ई. को दे दिए हैं तथा यह कार्य भी मेरे ख्याल से 15–20 दिन के अन्दर पूरा हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री महोदय का इस कार्य के लिए धन्यवाद करता हूं।

तारांकित प्रश्न सं. 359

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री नफे सिंह राठी सदन में उपस्थित नहीं थे)

तारांकित प्रश्न सं. 415

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र पाल अहलावत सदन में उपस्थित नहीं थे)

तारांकित प्रश्न सं. 438

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री रामफल कुंडु सदन में उपस्थित नहीं थे)

तारांकित प्रश्न सं. 440

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री मनी राम सदन में उपस्थित नहीं थे)

तारांकित प्रश्न सं. 425

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री भागी राम सदन में उपस्थित नहीं थे)

तारांकित प्रश्न सं. 442

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र पाल अहलावत सदन में उपस्थित नहीं थे)

तारांकित प्रश्न सं. 361

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री नफे सिंह राठी सदन में उपस्थित नहीं थे)

तारांकित प्रश्न सं. 424

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री भागी राम सदन में उपस्थित नहीं थे)

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो कि शार्ट–नोटिस पर आए थे तथा गवर्नमैंट को भेजे गये थे। The Minister concerned have agreed to reply them.

Over Payment

***459. Sh. Sat Pal Sangwan**: Will the Minister for PWD (B&R) be pleased to state whether it is a fact that over payment for the construction of road from village Misri to Kasni in District Bhiwani has been amde to the contractor whereas the said road is still lying incomplete; if so, the reasons thereof togetherwith the action taken or proposed to be taken against the officers/officials held responsible for making the said payment?

Public Works Minister (Sh. Dharamvir Yadav): Yes, Sir. In case of road from Mirch to Kansi preliminary enquiries conducted by S.E. Bhiwani reveal that over payment has been made and part work has been shown complete while at site gaps exist.

Action against officers will be taken after detailed enquiry is conducted and responsibility of officers is fixed.

श्री सतपाल सांगवान: स्पीकर सर, मैं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि फाइनल बिल के पेमेंट तो

29.9.95 को हुई थी और अब जब हम ने यह प्रश्न सदन में कर लिया है तो इस केस की इन्क्वायरी होनी शुरू हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि इससे पहले इस केस की इन्क्वायरी क्यों नहीं हुई? अगर हम सदन में यह सवाल नहीं करते तो कितना ही बड़ा घपला हो जाता, कोई पूछने वाला नहीं था। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि लगभग दो साल हो गये हैं, अभी तक इस केस की इन्क्वायरी क्यों नहीं हुई है?

श्री धर्मवीर यादव: अध्यक्ष महोदय, पहले आफिसर्ज की रिस्पासिबिलिटी फिक्स कर दी गई है। 1995 में यह सड़क बनी थी तथा इस केस में दो एग्रीमैंट हुए थे। इसमें कंट्रैक्टर सोमवीर सिंह था। इस केस में सरकार को ओवर–पेमेंट की वजह से लगभग 1 लाख 39 हजार रूपये का नुक्सान हुआ है। इसलिए जितनी ओवर पेमेंट कंट्रैक्टर को हुई हैं, उतनी ही पेमेंट कंट्रैक्टर की रोक ली गई है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह कार्य कंपलीट होने में लगभग 6 महीने लगेंगे।

श्री सतपाल सांगवान: स्पीकर साहब, यह आपके एरिया की सड़क है। जब मैं आपके साथ आपके एरिय में गया तो उस समय हमने वहां के एक्सीयन से पूछा था कि यह सड़क कम्पलीट क्यों नहीं की गई है तो उसने बताया कि इसकी कंट्रैक्टर को ओवर पेमेंट हो गई इसलिए इसका काम कम्पलीट नहीं हो पाया। ओवर पेमेंट के बारे में हमें एक्सीयन से पता लग गया वरना तो यह मामला वैसे ही पड़ा रहता। उस सड़क का साइट पर अर्थ वर्क

का केवल 20 हजार रूपये का काम हुआ है और पेमेंट 77 हजार रूपये की हुई है। उसके जो टैंडर हुए वह भी पार्टस में हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सड़क का काम दो हिस्सों में बांट कर कंट्रैक्टर्ज को दिया गया। इसमें इंटेलीजैंसी यह दिखाई गई कि इस सड़क का एक हिस्सा 3.02 किलोमीटर कम्पलीटर करने के लिए एक कंट्रैक्टर को ठेका दिय गया और बाकी का इसी कंट्रैक्टर की सोसाइटी को दिया गया। इस सड़क के एस्टीमेट में एक बड़ी वन्डरफुल चीज है। एस्टीमेट में पहले 15 मीटर दूर से मिट्टी लाई गई दिखाई है और पेमेंट में एक किलोमीटर दूर से मिट्टी लाई गई दिखाई गई है। इससे ज्यादा घपला क्या हो सकता है। इस तरह की बात एक जगह ही नहीं है। मंत्री जी को पता है कि हिसार में तारकोल के बारे में इंक्वायरी कराई गई जिसमें 10 या 15 लाख रूपये का गबन है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं किया यह कब तक चलता रहेगा?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): स्पीकर साहब, सांगवान साहब कल से बड़े थंडरिंग अंग्रेजी के शब्द बोल रहे हैं। (हंसी)

श्री धर्मबीर यादव: अध्यक्ष महोदय, सरकार का उदेश्य काम कराने का होता है और कंट्रेक्टर का कमाई करने का उदेश्य होता है। अगर औफिसर्ज या कंसर्न्ड मंत्री की वजह से इस तरह की ओवर पेमेंट हो जाती है तो उसका सरकार को पता नहीं लगता लेकिन इस सरकार ने आने के बाद अनेकों इंक्वायरियों की

गई है। जिस किसी जगह पर हमें किसी भी माननीय सदस्य या मंत्री जी ने इस तरह की बात बताई उसकी हमने डिटेल्ड इंक्वायरी कराई है। हमारे मुताबिक इस बारे में ओवर पेमेंट हुई है। इस पैसे की कंट्रेक्टर से रिकवरी हो जाएगी। माननीय सदस्य ने तारकोल के बारे में जो बात कही है उसकी मुझे जानकारी नहीं है। इस बारे में माननीय सदस्य मुझे बता दें मैं उसकी इंक्वायरी करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी मिसरी और कासनी ये दोनों गांव मेरी कांस्टयूएंसी के हैं। इस सड़क की लम्बाई मुझे जहां तक याद है 3.95 किलोमीटर है। इस सड़क को बनाने का ठेका 1993 में दिया गया था। अभी माननीय सदस्य सांगवान ने बताया कि उस सड़क के काम को मैनूप्लेटिंग ढंग से दो हिस्से में बांटा गया। उस सड़क को बनाने के काम को दो हिस्से में बांटना गलत था। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस सड़क के बनाने के काम को दो हिस्से में क्यों बांटा गया? उस सड़क की कुल लागत 6 लाख 98 हजार कुछ रूपए थी। उस सड़क के लिए वहां पर जो मिट्टी डाली गई है वह मैंने और सांगवान साहब ने देखी है। वहां पर चार फुट मिट्टी डाली गई दिखाई गई है लेकिन एक्चुअल में हमने वहां पर मिट्टी को खोद कर देखा था वहां पर डेढ़ फुट से ज्यादा मिट्टी नहीं डाली गई है। सड़क के बीच बीच में गैप पड़े हैं। वहां पर 70 हजार की जगह 16 हजार रूपए का ही काम किया गया है। मैं उस इलाके का नुमायंदा हूं। कृपया मंत्री जी यह

बताएं कि कंसर्न्ड अधिकारी उस सड़क को बनाने में यह कम्पलीट करने में आनाकारी क्यों कर रहे हैं I am very grateful to Sh. Sangwan, who has raised this question. मंत्री जी आप यह बताएं कि वे कौन कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने इस सड़क को कम्पलीट करने में आनाकारी की है और जिन अधिकारियों ने आनाकानी की है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा चुकी है। अगर कोई कार्यवाही नहीं की गई है तेा उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने की सोच रही है और इस सड़क को कब तक कम्पलीट करा दिया जाएगा?

श्री धर्मवीर यादव: अध्यक्ष महोदय, इस सड़क के काम को कम्पलीट न करने की कोताही के लिए अब तक बी.एस. सिंगला, एक्सीयन, बलवान सिंह एस.डी.ओ और प्रताप सिंह, जे.ई. को रिस्पोसिबल ठहराया गया है। ये तीनों पहले ही सस्पैंड हो चुके हैं। इस सड़क का काम 6 महीने में पूरा कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: ये सभी इस मामले में सस्पैंड हैं या किसी और मामले से सस्पैंड हैं।

श्री धर्मवीर यादव: वे पहले ही सस्पैंड हैं और किसी सस्पैंड को फरदर सस्पैंड करने का कोई प्रावधान नहीं है। ठेकेदारों के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि 10 परसैंट की हमारी जो कंडीशन उनसे बतौर सिक्योरिटी लेने की है वह हमारे

पास है, उस पेमेंट से पूरा हो जाएगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगले छः महीने में इस सड़क को पूरा कर देंगे।

श्री अध्यक्षः क्या इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया?

श्री धर्मवीर यादवः पूरी इन्क्वायरी होने के बाद ही यह डिसिजन लिया जाएगा।

श्री सतपाल सांगवानः अध्यक्ष महोदय, ये जिस एस.डी.ओं. का नाम लेते है, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जे फाईनल बिल बनाया गया है वह सरदार अमरजीत सिंह या

अमरीक सिंह जी के नाम पर है। उस पर एक्शन होना चाहिए। आपके कहने के बाद मैं इस सड़क पर गया हूं और पूरी डिटेल पता लगाई है। स्पीकर साहब, ये कहे है कि ठेकेदार जिम्मेवार है। मैं कहना चाहूंगा कि जब टैण्डर होता है तो टैण्डर के अन्दर होता है कि सड़क की चौड़ाई 24 फीट होगी और अर्थ की हाईट 3 फीट होनी चाहिए। स्पीकर साहब, आपने भी देखा कि उस सड़क की चौड़ाई 15 फीट से ज्यादा नहीं है और डेढ़ फीट से ज्यादा ऊंची नहीं है। वहां पर 15 मीटर से मिट्टी उठाई गई है और 1 किलोमीटर की दिखाई है। मैं जानना चाहता हूं कि उस वक्त जो आफिसर्ज थे क्या उनको उस वक्त इस सड़क को देखने का मौका नहीं मिला। दूसरे मंत्री जी कह रहे हैं कि नेशनल हाइईवैज डिवीजन हिसार में जो तारकोल की चोरी हुई, उसका मंत्री जी को

पता नहीं, मुझे बड़ा अचम्भा होता है। मैं बताना चाहता हूं कि इन्कवायरी उसकी हो रही थी और 15 लाख के तारकौल की चोरी हुई है। मैं बउ़ा सरप्राईजज हूं कि इतनी बड़ी चोरी के बाद भी इनको उसका पता नहीं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मेरे वहां पर जितनी भी सड़कें बनी हैं उनकी पहले भी इन्क्वायरी हुई है और इस सड़क की 10 दफा इन्क्वायरी हुई है। लास्ट में कोई विजिलैंस को आफिसर जाकर कह गया कि वहां पर कोई कमी नहीं है। आप स्वयं देखें कि वह सड़क अभी बनी नहीं है। मैं तो मंत्री जी से कहता हूं कि इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाये और मंत्री जी खुद मौके पर जाकर सारी बातों का पता लगाएं कि इस सड़क पर क्या मैटिरियल डाला है। यह फल्उ के टाईप काम हुआ था। मैं तो फिर कहता हूं कि कम से कम इनको देखना चाहिए कि वहां पर क्या काम हुआ है। साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा कि इस काम को पूरा करवाया जाये।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी जिस सड़क के बारे में चर्चा हो रही है, आपकी सरकार आने के बाद उस पर काम नहीं हुआ। आप इसकी जांच पड़ताल करें।

श्री धर्मवीर यादवः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने भी बताया और माननीय सदस्य जी ने भी बताया। इसकी इन्क्वायरी पहले ही करा रहे हैं। स्टेट विजिलैंस से इसकी इन्क्वायरी करायी गई है और डिपार्टमैंटल भी इन्क्वायरी हो रही है जो उचित कार्यवाही होगी वह हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप यह सड़क कब तक बना देंगे?

श्री धर्मवीर यादव: जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इस सड़क को अगले छः महीने में बना देंगे।

श्री राम भजन अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, जो घपले होते है उस बारे में मेरा सुझाव है। जहां पर कन्स्ट्रेक्शन होती है और जिस वजह से लाखों रूपये के घपले होते हैं उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर एक बोर्ड लगाया जाये कि इस सड़क के बनाने कि क्या कोस्अ है कौन ठेकेदार काम कर रहा है और कब तक पूरी होगी। अगर सरकार ऐसा कर देती है तो जनसाधारण को भी पता रहेगा और वह भी शिकायत कर सकेगा। क्या ऐसा बोर्ड लगाये जाने पर सरकार विचार करेगी?

श्री धर्मवीर यादव: मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि विभाग पहले ही इस मामले में कार्यवाही कर रहा है और हम ऐसा करने जा रहे हैं।

श्री कैलाश चन्द शर्मा: आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि पांचनौाि से रूपड़वासा एक रोड जाता है। उसका 6 लाख रूपये का एस्टिमेट है और उस पर 21 हजार रूपये की पेमैंट हुई है। वहां पर रोड़ियां भी सड़क के दोनों साइडों पर पड़ी हुई हैं। तकरीबन 200 आदमियों को साथ लेकर मैं उन 6–7 सड़कों पर घूमा हूं और उन सड़कों के फोटोज भी लिए हैं। मैंने इस मामले को ग्रिवैंसिज कमेटी, नारनौल में

उठाया हैं दूसरी बात यह है कि रनवास गांव राजस्थान बोर्डर से करीब डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर है और राजस्थान से आकर वहां पर रोड लगती है। पिछले तीन महीने से उस रोड पर तारकोल पड़ा हुआ था। पिछले करीब 10 दिन पहले तो तारकोल 3 ट्रकों में उठाकर वहां से ले गए। मैंने इस प्रश्न को ग्रिवैसिज कमेटी, नारनौल में भी रखा था। मुझे पता यह लगा है कि उस तारकोल को रिवाड़ी आफिस में एडजस्ट कर रहे हैं। इस सड़क पर अभी तारकोल का काम होना है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार राजस्थान बौर्डर से एक सड़क नायन से ढाणी काकड़वाली है। इस सड़क के बारे में एस.डी.ओ. और एक्सीयन की रिपोर्ट है कि इस सड़ का 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इस रोड पर 5 साल से काम हो रहा है लेकिन सड़क पूरी नहीं हुई है। इस सड़क का भी करीब दौ सौ आदमियों को मौका दिखाया है और इसके फोटो भी मेरे पास हैं। इसके मामले का भी मैंने ग्रिवैंसिज कमेटी, नारनौल में रखा है। यह करीब, डेढ़ किलोमीटर का टुकड़ा है (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय इन फैक्टस की जांच करवाएंगे और इन सड़कों का काम कब तक पूरा करवा देंगे?

श्री धर्मवीर यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आजतक इस बारे में कुछ भी लिख कर नहीं दिया है। इसके साथ ही ये फोटोज का भी जिक्र कर रहे हैं, उन फोटोज का एल्बम तैयार करके इन्होंने अपने ही पास रखा हुआ है। इन्होने अपने ही

पास रख हुआ है। इन्होने ने तो कोई फोटो मुझे दी है और न ही कोई शिकायत इनकी ओर से मुझे प्राप्त हुई है। अतः मैं चाहूंगा कि इस बारे में ये लिखित रूप में भिजवा दें ताकि उस पर कार्यवाही हो सके।

श्री कैलाश चन्द शर्मा: मैंने अपनी शिकायत की एक कापी इनको पहले भी भिजवाई है। अगर मंत्री जी कह रहे हैं तो मैं एक और कापी भी इनकी भिजवा दूंगा। मैंने इस बारे पार्टी मीटिंग में भी कहा था। मंत्री जी को मैं फोटोज भी भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: शर्मा जी, जब मंत्री जी अपने दफतर में बैठे हों उस समय आप लिखित रूप में इनको दे दें तो ठीक रहेगा।

श्री सतनारायण लाठर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि हमारे एरिया की दो सड़कें मन्जूर शुदा थी। एक सड़क बुराधाड़े से गुवारा और दूसरी सड़क गुड़ा बुआना से इंगरां है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इन सड़कों को कम्पलीट करवाने का आश्वासन भी दिया था। एक सड़क का अर्थ वर्क हो चुका है लेकिन दूसरी सड़क का काम अभी चालू नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इन सड़कों का काम कब तक कम्पलीट हो जाएगा?

श्री धर्मबीर यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि पी.डब्ल्यू.डी. के लिए अप्रैल, मई और जून काम करने का सीजन होता है लेकिन

बदकिस्मती से इस साल यह सीजन शुरू नहीं हो पाया क्योंकि हर हफते बरसात और तूफान आता रहा जिसके कारण अप्रैल, मई, और जून के महीनों में सड़कों का कार्य शुरू नहीं हो पाया। हमारा जो उदेश्य था पोट होल्ज रिपेयर करने का उसको पूरा नहीं कर सके। बरसात के बाद हम इनकी सड़कों का काम करवाने बारे विचार करेंगे।

श्री निर्मल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में सात साढ़े सात किलोमीटर की ऐसी रोडज हैं जो कि छोटे–छोटे टोटे हैं और लिंक रोडज हैं। ये रोडज वर्श 1987 में चौ. बंसी लाल जी की सरकार के वक्त मन्जूर हुए थे और इनका अर्थ वर्क का काम भी हो चुका था। दूसरी सरकार ने आर्थिक कारण से इन सड़कों का काम रदद कर दिया था। साढ़े तीन किलोमीअर का टोआ जी. टी.रोड से पेहवा डेरा और दूसरा टोटा रामगढ़ गांव का मन्जूर शुदा था जोकि पूरा नहीं हुआ।

Mr. Speaker: You ask relevant question. I think it is not relevant.

10.00 बजे

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, सांगवान साहब ने एक पार्टीकुलर प्रश्न एक पार्टीकुलर रोड़ के बारे में पूछा हैं। मैं मंत्री महोदय जी से पूछना चाहूंगा कि यह जो पार्टीकुलर प्रश्न उठाया गया है तो इस प्रकार की शिकायतें और घटनाएं प्रान्त के दूसरे स्थानों में भी हो सकती हैं कि काम कागजों में तो हो गया हो,

लेकिन मौके पर न हुआ हो। तो क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि एक हायर लैवल की कमेटी बनाई जाए, जो रैन्डम चैकिंग करे और मौके पर जाकर काम की फिजीकल वैरीफिकेशन करे ताकि इस प्रकार की कोई घटना न हो सके?

श्री धर्मवीर यादव: अध्यक्ष महोदय, हमारे पास पहले ही ऐसी एजैन्सी है जो मौके पर जाकर इन्क्वायरी करती है, वहां पर मैटिरियल को टैस् करती है और मैटिरियल को लैबोरेटरी में ले जाकर चैक करती है। हमने पहले भी सभी मैम्बर्ज से प्रार्थना की थी कि जब उनके हल्के में कोई काम होता है तो वे खुद भी उस काम का ध्यान रखें। अगर वहां पर कोई कमी हो तो हमारे नोटिस में लाएं ताकि उस पर प्रशासनिक कार्यवाही की जा सके।

श्री सतपाल सांगवान: स्पीकर साहब, एक बात मंत्री जी की नौलेज में नहीं है वह मै बताना चाहता हूं। हिसार के नैशनल हाई–वे डिविजन मैं 15 लाख के तारकोल का घोटाला बताया है, क्या उस बारे में वैरीफाई करेंगे?

श्री अध्यक्ष: सांगवान जी यह बात नोटिस में आ चुकी है।

श्री देवराज दीवान: अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने पिछले सैशन में माना था कि इस महकमें में 60 प्रतिशत लीकेज है। यह अब यह बताएं कि इस

लीकेज को रोकने के लिए इन्होंने क्या कार्यवाही की और अब यह लीकेज कितने प्रतिशत है?

श्री धर्मवीर यादव: अध्यक्ष महोदय, लीकेज कई प्रकार की होती है। माननीय सदस्य लिखकर दे दें कि ये किस लीकेज के बारे में कह रहे हैं। हम उस पर कार्यवाही करेंगे और इनको बता देंगे।

श्री जगदीश नैयर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने पिछली बार हाउस मैं आश्वासन दिया था कि हमारे यहां जो रैसट हाउस है उसकी छत डाल दी जाएगी लेकिन वह छत आज तक नहीं डाली गई है। अब वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम रख दिया गया है और आजकल बारिश का मौसम है, मैं माननीय मुख्यमंत्री को कहां पर बिठाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, वहां पर छत डालने की वजह एक बरसाती डाल दी है वह तो मैं भी कह सकता था। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरे हल्के की कुछ सड़कें टूटी पड़ी हैं। जब मंत्री महोदय, वहां पर आये थे तो मैंने वहां पर इनका स्वागत भी करवाया था। उस वक्त मैंने मंत्री जी को उन सड़कों के बारे में बताया था। इन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि वहां पर काम 15–20 दिनों में शुरू करवा देंगे। आज वहां के लोग मुझे पूछते हैं कि 15–20 दिन की बजाए तीन महीने हो गये हें, सड़कें तो बनी नहीं हैं। मुझे मंत्री जी यह बताएं कि उन सड़कों को कब तक बवना देगे?

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, इनकी कांस्टीच्यूएंसी में जो–जो सड़कें हैं मैं उनको वहां पर जाकर नाप लूंगा। (हंसी)

श्री अध्यक्ष: मुख्यमंत्री जी नापने से काम नहीं बनेगा, उनको बनवा दो। (हंसी)

श्री सोमवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टीच्यूएंसी लोहारू के अन्दर तीन सड़कें हैं। एक सड़क फरटिया भीमा से फरटिया ताल तक, दूसरी सड़क भूढेरा से बीठन तक और तीसरी बढदू मुगल से नई मुगल तक है। इन तीनों पर एक साल पहले अर्थ वर्क हुआ था और रोड़ी डाली गई थी लेकिन तारकोल नहीं डाला गया था। उसको आज एक साल हो गया है। आज भी वहां पर तारकोल नहीं डाला गया है जिससे वहां पर लोगों को परेशानी होती है। क्या इन तीनों सड़कों पर तारकोल डालने के लिए मंत्री जी समय निर्धारित करेंगे कि कब तक तारकोल डाल दिया जाएगा?

श्री धर्मबीर यादव: अध्यक्ष महोदय, इन तीनों सड़कों पर अगले छः महीने में काम पूरा कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: यादव जी, इन तीनों सड़कों पर काम पूरा कर दिया जाएगा या राज्य की सभी सड़कों का काम कम्पलीट कर दिया जाएगा?

श्री धर्मबीर यादव: अध्यक्ष महोदय, सबको ठीक करने में तो हमें तीन साल लगेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 460

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला सदन में उपस्थित नहीं थे)

तारांकित प्रश्न संख्या 461

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला सदन में उपस्थित नहीं थे)

तारांकित प्रश्न संख्या 462

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री अध्यक्ष: अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

22.7.1997 को प्रतिपक्ष के सदस्य, श्री बीरेन्द्र सिंह द्वारा उठाए एग विशय पर स्पश्टीकरण

कृशि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): स्पीकर सर, चौ. बीरेन्द्र सिंह जी आज यहां सदन में होते तो कुछ और बात होती। हमारे विपक्ष के भाईयों ने एक तरीका बनाया हुआ है। वे अपनी सभी बातें यहां पर कह जाते हैं ओर जब उन बातों का जवाब सुनने की बारी आती है तो वे भाग जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, चौ.

बीरेन्द्र सिंह जी ने पिछले कल जो यहां पर उल्ट–पुल्ट बातें कहीं थी उनका कल ही सही जवाब दे दिया गया था। मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कल बीरेन्द्र सिंह जी ने श्री सुरेन्द्र सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करने के बारे में कहा था तो अध्यक्ष महोदय, उन्हीं दिनों का आठ जून, 1982 का अंग्रेजी का स्टेटमैन अखबार जो नयी दिल्ली से छपता है और जिसकी एक प्रति मेरे पास है, में से मैं आपके सामने सच्चाई पढ़ना चाहता हूं। इस अखबार में इससे संबंधित हैडिंग है –

Surinder Singh joins Haryana Ministry.

"Mr. Surinder Singh, S/o Sh. Bansi Lal sworn in as a Minister at the 4th oath taking ceremony of the new Haryana Ministry the the Raj Bhavan, today. This brings it strength to 22.

As on previous occasions, Mr. Bhajan Lal, Chief Minister told reporters after the ceremony that more Ministers would be appointed only after the Assembly Session. Mr. Surinder Singh has been given the portfolios of Agriculture and Wild Life.

Never before in the history of this Joint Capital of the two States, has there been a more unwilling person to take oath as a minister when Mr. Surinder Singh, who won by the largest margin in last month's elections.

He came with dark glasses on, something unusual for him, took the oath almost in whisper, had no refershments

after the ceremony and kept to himself most of the time, not once did he have a smile on his face during the function. Once needed no proof to know that he has been fored into becoming a minister."

स्पीकर साहब, लिखा तो इस अखबार में और भी कुछ है जिसको बीरेन्द्र सिंह जी भी अच्छी तरह से जानते थे लेकिन कल वे न जाने क्या क्या बातें कह गये। इस अखबार में आगे लिखा है कि –

"The Chief Minsiter, however, had been feeling nervous and felt that Mr. Surinder Singh's inclusion alone would ensure the group's support. Repeated offers had failed to bait Mr. Surinder Singh, who is almost as rigid as his father. But this time the Party Hihg Command directed him to join the Ministry. It is reliably learnt that Mr. Rajiv Gandhi also advised him thus.

While ther eis no threat to the Ministry from Mr. Surinder Singh or Mr. Bansi Lal, it is too much to believe that Mr. Bansi Lal and Mr. Bhajan have come closer. Mr. Surinder Singh has agreed only at the instance of the Party High Command and the situation remains more or less the same."

अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से इस अखबार ने लिखा है। ये सारी बातें आपने देखीं कि किस तरीके से बीरेन्द्र सिंह जी ने कल सदन को गुमराह करना चाहा था। जबकि इस बारे मैं मैंने आपको सारी सच्चाई पढ़कर सुना दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं यही सबमिशन करना चाहता था।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, मेरी भी एक सबमिशन है। मैं अपनी कल की दी हुई एक छोटी सी स्टेटमैंट सही कर दूं। कल मैंने कहा था कि सुरेन्द्र सिंह द्वारा उस समय ओथ लेते समय मेरी फैमिली का कोई मैम्बर उपस्थित नहीं था लेकिन अखबार में लिखा है कि उस समय सुरेन्द्र सिंह की वाइफ, मेरी वाइफ और मेरी लड़की उपस्थित थीं। इनके अलावा बाकी और कोई मैम्बर मेरी फैमिली का उस समय नहीं था।

नियम 64 के अधीन वक्तव्य

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): Hon'ble Mr. Speaker, with your permission, I make a statement.

The Pay Scales of State Government employees and the rates of pension to its pensioners were last revised with effect from 1-1-1986 on 29-4-1987 on the Central Government pattern. The Central Government constituted the Fifth Pay Commission under the chairmanship of Mr. Justice S.R. Pandian (Retd.) on 9-4-1994 to review, among others, the pay structure and various allowances being paid to central Government employees and its pensioners and to make its recommendations. The Fifth Pay Commission submitied its recommendations to the Central Government on 30th January, 1997 and the Central Government has, as per press reports, decided to implement the recommendations of the Fifth Pay Commission with some modifications. The exact details of the Central Government's decision are awaited. My Government assumed office on 11-5-1996 and it was the commitment of Haryana Vikas Party and Bhartiya Janta Party, before the

elections, to grant pay and allowances to our employees on the pattern of Central Fifthe Pay Commission, as accepted by the Central Government. Therefore, I again reiterate on the floor of this august House that the State Government is committed to grant pay and allowances to its employees and pensioners iwht effect from 1.1.96 on the pattern of the Central Government. The recommendations shall be implemented after getting the same processed by a Committee of Secretaries headed by the Chief Secretary for which a notification is being issued shortly.

सदस्यों की गिरफतारी के बारे में घोशणा

Mr. Speaker: Hon'ble members, I have received an intimation of arrest of following members in FIR No. 108 dated 22.7.1997 with Police Station North, Chandigarh under section 188 of I.P.C. :-

1 Sh. Ashok Kumar;

2 Sh. Mani Ram;

3 Sh. Ram Phal Kundu;

4 Sh. Bhagi Ram;

5 Sh. Banta Ram;

6 Sadar Jaswinder Singh;

7 Smt. Vidya Beniwal;

8 Sh. Nafe Singh Rathee;

9 Sh. Ramji Lal;

10 Sh. Suraj Mal;

11 Sh. Rishal Singh;

12 Sh Ram Pal Majra;

13 Sh. Virender Pal;

14 Sh. Krishan Lal;

15 Sh. Balwant Singh Maina;

16 Sh. Sri Krishan Hooda;

17 Sh. Balbir Singh;

18 Sh. Nafe Singh;

19 Sh. Dilu Ram;

20 Sh. Jai Singh Rana;

21 Sh. Satwinder Singh Rana; and

22 Sh. Randeep Singh Surjewala.

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 15.

Agriculture Minister (Sh. Karan Singh Dalal): Sir, I beg to move-

That the proceedings on the items of business fixed for today, be exempted at this day's sitting from the Provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly'. indefinitely.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the proceedings on the items of business fixed for today, be exempted at this day's sitting from the Provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly'. indefinitely.

Mr. Speaker: Question is –

That the proceedings on the items of business fixed for today, be exempted at this day's sitting from the Provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly'. indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 16.

Agriculture Minister (Sh. Karan Singh Dalal): Sir, I beg to move-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker: Question is –

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried.

बिल्ज

(i) हरियाणा एप्रोप्रिएशन (न. 3) बिल, 1997

Mr. Speaker: Now the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1997 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Sh. Charan Dass): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill. 1997.

Sir, I also move that –

The Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved –

The Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is –

The Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is –

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Sh. Charan Dass): Sir, I beg to move –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सैलूरीज एंड अलाउंसिज (अमैडमैंट) बिल, 1997

Mr. Speaker: Now the Chief Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill,, 1997 and will also move the motion for its consideration.

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill,. 1997.

Sir, I also move that –

The Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved –

The Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is –

The Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Chief Minister will move that the Bill be passed.

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): Sir, I beg to move –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iii) दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाइटीज (अमैडमैंट) बिल, 1997

Mr. Speaker: Now the Chief Minister will introduce the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1997 and will also move the motion for its consideration.

Cooperation Minister (Sh. Narbir Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill,. 1997.

Sir, I also move that –

The Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved –

The Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is –

The Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Cooperation Minister will move that the Bill be passed.

Cooperation Minister (Sh. Narbir Singh): Sir, I beg to move–

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iv) दि हरियाणा सैलरीज एंड अलाउंसिज आफ मिनिस्टर्ज (अमैडमैंट) बिल, 1997

Mr. Speaker: Now the Chief Minister will introduce the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 1997 and will also move the motion for its consideration.

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): Sir, I beg to introduce the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill,. 1997.

Sir, I also move that –

The Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved –

The Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is –

The Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Chief Minister will move that the Bill be passed.

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): Sir, I beg to move–

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(v) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैन्शन आफ मैम्बर्ज) सैकिंड अमैंडमैंट बिल, 1997

Mr. Speaker: Now the Chief Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill, 1997 and will also move the motion for its consideration.

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill,. 1997.

Sir, I also move that –

The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved –

The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill, be taken into consideration at once.

श्री सतपात सांगवान (दादरी): स्पीकर साहब, इसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि जब हमें कोई आदमी पूछता है

कि आपकी तरखाह कितनी है तो हमें यह कहते हुए महसूस होता है कि हमारी तनखाह 500 रूपये महीना है। स्पीकर साहब, सदस्य बनने से पहले जब मैं सरकारी नौकरी में था तो मेरी इससे ज्यादा तनखाह थी। मेरे अपोजीशन के भाई सदन में उपस्थित नहीं हैं वे हमेशा हमारे पीछे पड़े रहते थे कि आप लोग सदस्यों की तनखाह बढ़ने के बारे में सी.एम. साहब से प्रार्थना करें। आपके साथ साथ हमारा भी कल्याण हो जाएगा। मैं इसके लिए एक बात फिर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

Mr. Speaker: Question is –

The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 7

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 8

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Chief Minister will move that the Bill be passed.

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): Sir, I beg to move–

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

सदन की बैठक की कार्यवाहियों को उपलब्ध कराने के लिए सदन की अनुमति

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a communication dated the 23rd July, 1997 from the Advocate General, Haryana, which reads as under :-

"The proceedings of the Haryana Vidhan Sabha dated 17th and 18th March, 1997, are required to be produced in the Hon'ble Punjab and Haryana High Court in connection with C.W.P. No. 10259, 10245 of 1997, fixed for hearing for today.

You are, therefore, requested to kindly arrange to supply the copies of the proceedings of the dates stated above, through special messenger immediately."

Mr. Speaker: It is the pleasure of the House that the proceedings of the meetings of the House dated 17th & 18th March, 1997 be supplied to the Advocate General Haryana, as required.

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): स्पीकर साहब, कल भी इस बारे में हमारे विपक्ष के साथियों ने सभी बातों को स्वीकार किया और भारत के संविधान में आर्टिकल 212 में यह प्रावधान है और इस तरह की बात कोई पहली बार नहीं हुई है। किसी भी

विधान सभा का, लोक सभा का या राज्य सभा का जो प्रोसीजर है, जो उसके अन्दर की यानी सदन के अन्दर की कार्यवाही है उसके बारे में संविधान निर्माताओं ने पहले ही प्रावधान किया था। जहां तक विधान सभा की कार्यवाही की बात है, जब उसकी पब्लिकेशन हो जाती है तो तब वह पब्लिक डाकुमैंट हो जाती है। उसके बाद उसे पोलिटिकस साईस के छात्र भी पढ़ते हैं तथा दूसरे लोग भी उसे ले जाते हैं। यह सदन लोगों की इच्छा पर यानी उनकी इच्छाशक्ति पर और संविधान द्वारा जो उनके प्रदित अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं उनके द्वारा चुना हुआ आगस्ट हाउस है। इसी तरह से लोकसभा और बाकी सारे आगस्ट हाउस हैं। ये अपने आप में शक्तिशाली हैं। लेकिन इसके अन्दर की जो गतिविधियां हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण हैं। हमारे कुछ साथी जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं जो यहां पर अपनी बात कह सकते हैं उन्हीं साथियों को कल बार बार आग्रह किया गया, उन सबसे निवेदन किया गया कि आप अपनी बात पूरी कह कर जायें, सरकार की आलोचना करके जाएं। हमीर कमजोरियों पर टिप्पणी करके जांए परन्तु स्पीकर साहब, वे ऐसा नहीं कर सके। स्पीकर साहब, इसका हमको बड़ा भारी खेद है। हम सब विधायक हैं, हम सबके एक जैसे अधिकार हैं। चाहे कोई सत्ता पक्ष का विधायक है या चाहे विपक्ष का विधायक है। इस सदन की गरिमा के हिसाब से संविधान में जिस चीज का प्रावधान है उसका आर्टिकल 212 में साफ सुथरी भाशा में प्रावधान किया है कि हाउस के अन्दर की गतिविधि की जो कार्यवाही है, कोई भी अदालत उसको मंगवा

नहीं सकती। You are not only a person, you are an institution also. संविधान का जो प्रावधान है उसके हिसाब से हमको चलना चाहिए।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं इस विशय से हट कर एक बात कहता हूं। विपक्ष की गैर हाजारी हमें भी अखरती है। उनको यहां पर आना चाहिए था। एक तरफ तो वे कहते हैं कि तनख्वाह बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि काम नहीं चलता। हमने यह सैशन बिजली बोर्ड के रिफार्म का बिल पास करने के लिए बुलाया था। हम चाहते थे कि उनकी राय सुनें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी यानी दोनों पार्टियौं वचनबद्ध हैं, हरियाणा की जनता को 24 घंटे बिजली देने के लिए। इसीलिए हम यह प्रावधान करना चाहते हैं और इसलिए यह बिल लाये हैं। हम बड़ी बिजली देने के लिए। इसीलिए हम यह प्रावधान करना चाहते हैं ओर इसलिए यह बिल लाये हैं। हम बड़ी तेजी से इस दिशा में बढ़ रहे हैं और जैसा मैंने कल भी निवेदन किया था कि अगले दो–अढ़ाई साल के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश का कोई भी आदमी यह नहीं कह सकेगा कि 24 घंटे में से एक मिनट भी बिजली नहीं मिल रही। यही प्रावधान करने के लिए हम यह सब कुछ कर रहे हैं। उनकी तरफ से शोर मचाना कि यह जनता विरोधी बिल है, वाक आउट कर गये। उनको जवाब सुनना चाहिए था। यह बिल हरियाणा की जनता को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। वे कह रहे थे कि हम

इसका निजीकरण करने जा रहे हैं जबकि हमने निजीकरण नहीं किया है। सिर्फ एक इतनी ही बात कही हैं कि बिजली बोर्ड की तीन सरकारी कम्पनीज बनायी जायेंगी। पहली बिजली पैदा करने वाली है, एक बिजली ट्रांसमीशन करने वाली और एक बिजली डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली है। अलबता डिस्ट्रिब्यूशन में स्टेट में चार जोन्ज बनाएंगे। एक जोन ज्वायंट वैंचर में होगा। उसमें हरियाणा सरकार भी पार्टनर होगी और दूसरे भाई भी उसमें होंगे। हम यह काम एक एक्सपैरिमैंट के तौर पर करेंगे। अगर एक्सपैरिमैंट कामयाब होगा तो आगे बढेंगे और अगर एक्सपैरिमैंट कामयाब नहीं हुआ तो 100 प्रतिशत डिस्ट्रिब्यूशन का काम सरकार में रखैंगे। अध्यक्ष महोदय, वे लोग इम्प्लायज को भड़काते थे कि तुम्हारी टिट्रैन्चमैंट हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी यह बात साफ कर दी थी कि किसी इम्लाई का रिट्रैचमैंट नहीं होगा, किसी इम्पलाई को निकाला नहीं जाएगा, सिकी इम्प्लाई की सर्विस कण्डीशन्ज नहीं बदली जाएगी। पांच साल का समय कर्मचारी को दिया हे, इन पांच सालों मैं वे खुद तय कर लें कि उन्हें सरकार की किस कम्पनी में रहना है। अध्यक्ष महोदय, उन भाईयों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था इसलिए वाक आउट करने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। वे यहां पर बैठते ओर आन दि फ्लोर आफ दि हाउस कहते कि हम इसकी मुखाल्फत करते हैं। कांग्रेस की सरकार में चौ. भजन लाल ने 25.2.1996 को जो बिल पास किया था वह तो बिजली की प्राईवेटाईजेशन का ही

था। बिजली की जैनरेसन तो पहले ही प्राईवेटाईज कर रखी थी। हमने तो कुछ भी प्राईवेटाईज नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय, जिस कार्यवाही के बारे में भाई राम बिलास शर्मा जी ने कहा कि इसके लिए एडवोकेअ जनरल ने कल आपसे कहा था पैटिशनर्ज ने कुछ ऐसे फैक्टस कोर्ट में दिए हैं जो कि कवेल उन्हीं के हक में पड़ते हैं। अगर दिन भर की पूरी डिबेट दिखाई जाएगी तो अदालत उसका सही अन्दाजा लगा सकेगी। इसलिए हमने इस बात पर एग्री किया है कि हां दे देनी चाहिए वरना तो यह हाउस का प्रिविलेज है, तो मैं समझता हूं कि उस कार्यवाही को देने में कोई एतराज नहीं है।

Mr. Speaker: Question is –

That the proceedings of the meetings of the Haryana Vidhan Sabha held on 17th and 18th March, 1997 be supplied to The Advocate General as desired.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House stands adjourned sine-die.

***10.37 hrs.**

(The Sabha then *adjourned sine-die)